

न्यायालय अपर समाहर्ता, गुमला।

एस0ए0आर0 अपील 67/2008

रामा महली-अपीलार्थी

बनाम

हरिनन्दन भगत उत्तरवादी


अपीलार्थी राम महली पिता स्व0 गोन्दो महली, ग्राम-हापामुनी, थाना-घाघरा, जिला-गुमला ने अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला के एस0ए0आर0 अपील वाद 36/2004-05 दिनांक 30.07.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है।


अभिलेख फलक की अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से को अभिरुचि नहीं रह गई है।

अतः अपील वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता,
गुमला


अपर समाहर्ता
गुमला।